

आधार की संवैधानिकता

संदर्भ

अटॉर्नी-जनरल के.के. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को याचिकाकर्त्ताओं द्वारा की गई बहस पर आपत्तजिताते हुए कहा कि आधार का लाभ लोगों तक पहुँच रहा है तथा इससे धोखाधड़ी पर लगाम लगी है।

परन्तु, जब आधार की संवैधानिकता को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई हो और इस पर संवधान पीठ का फैसला आना बाकी हो, तो थोड़े-थोड़े अंतराल पर आधार की अनविर्यता का दायरा बढ़ाते जाने के फरमान सरकार के उतावलेपन को ही दर्शाते हैं।

प्रमुख घटनाक्रम

- आधार को अनविर्य बनाने का वरिध कर रहे याचिकाकर्त्ताओं का कहना था कि आधार भारत को "एकाग्रता शिविर" (concentration camp) में ले जा रहा है तथा यह जॉर्ज ऑरवेल द्वारा रचति 1984 के एक अधिनियमवादी राज्य की याद दलाता है, जिसमें हर कोई और हर चीज़ को 'बगि ब्रदर स्टेट' द्वारा देखा जाता है।
- उनका कहना है कि बिचूँ को आधार नामांकन के लिये अपने अंगूठे के प्रिंट लेने के लिये कहा जाता है। इस तरह हम राज्य के समक्ष दास जैसा बन रहे हैं। भारत एकाग्रता शिविर बन रहा है, यह लोगों पर आक्रमण से कम नहीं है।
- नई अधिसूचनाएँ भी उन लोगों को कल्याणकारी फायदों से रोकने का इरादा है, जिनके पास आधार संख्या /कार्ड नहीं है। कुल मिलाकर लोगों के ऊपर नगिरानी की स्थिति चल रही है।

नरिधनों की सहायता

- सरकार के पक्ष से श्री वेणुगोपाल ने कहा कि आधार ने 350 मिलियन नरिधनों की सहायता की है।
- अब तक लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिये जो धन भेजा जाता था, उसे मार्ग पर ही नगिल लिया जाता था, परन्तु आधार के बाद लोगों को अपना पैसा और लाभ दोनों मलि रहे हैं।
- गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आधार योजना की संवैधानिकता को 'एक बार और हमेशा के लिये' तय कया जाना है और संभवतः इसे नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय कया जाएगा।

आधार को लेकर वविद क्यों ?

- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं के लिये आधार को अनविर्य बनाने की घोषणा की है। सरकार आधार की अनविर्यता का दायरा लगातार बढ़ाती जा रही है।
- इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कया है कि सरकार और उसकी एजेंसियाँ समाज कल्याण योजनाओं के लिये आधार कार्ड अनविर्य नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने हालाँकि यह भी स्पष्ट कया कि गैर कल्याणकारी कार्यों, जैसे बैंक खाता खुलवाने में आधार कार्ड मांगने से मना नहीं कया जा सकता।
- आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका कई साल से सर्वोच्च न्यायालय में लंबति है। तब से अदालत ने समय-समय पर कुछ अंतरमि नरिणय सुनाए हैं, पर कभी भी कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड को अनविर्य बनाने की इज़ाज़त नहीं दी।
- पारदर्शिता के तकाज़े से आधार नंबर की मांग के औचित्य से इनकार नहीं कया जा सकता। पर जब आधार की संवैधानिकता को ही सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई हो और इस पर संवधान पीठ का फैसला आना बाकी हो, तो थोड़े-थोड़े अंतराल पर आधार की अनविर्यता का दायरा बढ़ाते जाने के फरमान सरकार के उतावलापन को ही दर्शाते हैं।
- एक वडिबना यह भी है कि सबके लिये सब जगह आधार अनविर्य करती जा रही सरकार ने चुनावी चंदे से संबंधति जो नया प्रावधान कया है वह पारदर्शिता के तकाज़े से कतई मेल नहीं खाता।

